

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अमल यादव उर्फ अमला यादव

बनाम

बिहार राज्य

आपराधिक अपील (ए. न्य.) संख्या 1012 वर्ष 2017

06 जनवरी 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या पीड़िता/अभियोक्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य, बिना चिकित्सीय साक्ष्य के, प्राथमिकी में लगाए गए बलात्कार के आरोप को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता - धारा 376 - बलात्कार के मामलों में पीड़िता की गवाही का महत्व - धारा 376(1) आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील - अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप यह है कि जब पीड़िता/सूचना देने वाली महिला गन्ने के खेत में शौच के लिए गई थी, तो अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उस पर दबाव डाला और उसके साथ बलात्कार किया।

निर्णय: बलात्कार के अपराध में सबसे महत्वपूर्ण गवाह जिस पर विचार किया जाना चाहिए, वह स्वयं पीड़िता है, क्योंकि सामान्यतः इस प्रकार का अपराध पीड़िता के अकेले होने पर ही किया जाता है - अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि कायम रह सकती है, यदि वह विश्वास जगाती है और ऐसा कोई विधि या व्यवहारिक नियम नहीं है कि अभियोक्ता के साक्ष्य पर बिना पुष्टि के भरोसा नहीं किया जा सकता - इस मामले में, अभियोक्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन किया और अभियुक्त के होंठ पर पाए गए चोट के निशान अभियोक्ता के आरोप की पुष्टि करते हैं और जाँच अधिकारी द्वारा अपने साक्ष्य में प्रकट किया गया घटनास्थल का विवरण भी पुष्टि करता है - अभियोक्ता की विश्वसनीयता या

विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है - आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है - अपील खारिज। (अनुच्छेद - 14)

न्याय दृष्टान्त

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम पंकज चौधरी, 2019 (11) एस.सी.सी 575;
गणेशन बनाम राज्य (2020) 10 एस.सी.सी. 573पर आधारित

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता; दंड प्रक्रिया संहिता

मुख्य शब्दों की सूची

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील - बलात्कार - पीड़िता/अभियोक्ता की गवाही - घटना का स्थान -
चिकित्सा साक्ष्य - पीड़िता/अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि।

प्रकरण से उत्पन्न

सत्र वाद संख्या 294/15 में, बगहा, पश्चिम चंपारण के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, श्री
दुर्गेश मणि त्रिपाठी द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2017 को दोषसिद्धि का निर्णय और दिनांक 20
जनवरी 2017 को सजा का आदेश पारित किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री पी. एन. मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री मुकेश्वर दयाल, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक अपील (ए. न्य.) सं. 1012

थाना कांड सं.- 42 वर्ष-2014 थाना-महिला थाना जिला-पश्चिम चंपारण से उद्भूत

=====

अमल यादव उर्फ अमला यादव पिता गोरख यादव निवासी ग्राम-चंद्रपुर बकावा, थाना चौतरावा, जिला-पश्चिम चंपारण।

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री पी. एन. मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री मुकेश्वर दयाल, स. लो. अ.

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

दिनांक: 06-01-2023

तत्काल आपराधिक अपील 18 जनवरी 2017 के दोषसिद्धि के फैसले और 20 जनवरी 2017 के सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसे श्री दुर्गेश मणि त्रिपाठी, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बगहा, पश्चिम चंपारण द्वारा सत्र मामला संख्या 294/15 (कंप्यूटर पंजीकरण संख्या 1816/16) में पारित किया गया है, जो 2014 के बगहा महिला थाना मामला संख्या 42 से उत्पन्न होता है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) (संक्षेप में भा. दं. वि.) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे 10 साल के लिए कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान न करने पर, एक वर्ष के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

2. सूचना देने वाले के फर्दबयान से पेश होने वाले अभियोजन पक्ष के मामले का सार, जिसके आधार पर तत्काल मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, इस प्रकार है:-

अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, घटना की कथित तारीख और समय पर सूचक हीरा लाल नामक व्यक्ति के गन्ने के खेत में शौच में भाग लेने गया और फिर आरोपी/अपीलकर्ता ने उसे काबू कर लिया और उसके मुंह पर तौलिया बांधकर उसके साथ बलात्कार किया और जब सूचना देने वाला रोने लगा तो आरोपी ने उस पर हसिया के बल्ले से हमला किया और उसके कपड़े (नाइटी) भी फाड़ दिए और कथित घटना के बाद सूचक उसके घर लौट आयी और उसके परिवार के सदस्यों को कथित घटना के बारे में बताया।

3. जाँच पूरी होने के बाद, पुलिस ने भा. दं. वि. की धारा 323, 376 और 504 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया और विद्वान सी. जे. एम. ने अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र में उल्लिखित कथित अपराधों का संज्ञान लिया।

4. संज्ञान के बाद, अपीलार्थी का मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया और भा. दं. वि. की धारा 323, 376 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसके खिलाफ आरोप बनाए गए। अपीलार्थी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और अपनी बेगुनाही दिखाते हुए मुकदमा चलाने का दावा किया और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के साथ कुल 10 गवाहों से पूछताछ की जो इस प्रकार हैं:

अ.सा. -1:- XXXX, (पीड़िता की माँ)

अ.सा. -2:- हरि चौधरी (स्वतंत्र गवाह)

अ.सा. -3:- XXXX, (सूचना देने वाला/पीड़िता)

अ.सा. -4:- शुभ नारायण यादव, (अनुसंधानकर्ता)

अ.सा. -5:- XXXX, (पीड़िता का भाई)

अ.सा. -6:- डॉ. आकांक्षा (चिकित्सा अधिकारी)

अ.सा. -7:- सुमित्रा देवी (स्वतंत्र गवाह)

अ.सा. -8:- रूबी देवी (स्वतंत्र गवाह)

अ.सा. -9:- XXXX (पीड़िता का पिता)

अ.सा. -10:-धुरा चौधरी (स्वतंत्र गवाह)

6. मौखिक साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए और उन्हें निम्नलिखित क्रम में प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया:-

प्रदर्श -1:- औपचारिक प्राथमिकी

प्रदर्श -2:- लिखित प्रतिवेदन।

प्रदर्श -3:- पीड़िता के जूत कपड़े ।

प्रदर्श -4:- अभियुक्त के जूत कपड़े।

प्रदर्श -5:- अभियुक्त की चोट का प्रतिवेदन।

प्रदर्श -6:- रासायनिक परीक्षण के लिए अनुसंधानकर्ता को अग्रेषित करना।

प्रदर्श -7:- पीड़िता की चोट का प्रतिवेदन।

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, अभियुक्त का बयान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से उसके खिलाफ पेश होने वाली परिस्थितियों को उसे समझाया गया था, लेकिन अपीलकर्ता ने उक्त परिस्थितियों से इनकार किया और खुद को निर्दोष होने का दावा किया।

8. बचाव में, अपीलकर्ता ने बचाव पक्ष के दो गवाहों ब.स.-1 महेश यादव और ब.स.-2 आधार यादव को पेश किया। मुकदमे के समापन के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और ऊपर उल्लिखित तरीके से सजा सुनाई।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी. एन. मिश्रा ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए अभियोजन पक्ष (अ.सा. -3) के साक्ष्य भौतिक बिंदुओं पर विरोधाभासों और विसंगतियों से भरे हुए हैं जो अभियोजन पक्ष की कहानी की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोप की पीड़िता के पिता और मां (क्रमशः अ.सा. -9 और 1)

द्वारा समर्थन नहीं किया गया था और सूचना देने वाले के अलावा अन्य निजी गवाह सुनी सुनाई गवाह हैं और उनके साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा फर्दबयान में लगाए गए आरोप की पुष्टि नहीं करते हैं। यह आगे तर्क दिया गया है कि पीड़िता की चिकित्सकीय जांच करने वाले संबंधित डॉक्टर को पीड़िता व्यक्ति पर बलात्कार का कोई संकेत नहीं मिला और न तो कोई शुक्राणु और न ही पीड़िता के निजी हिस्से पर कोई चोट पायी गयी थी और ये तथ्य स्पष्ट रूप से पीड़िता के साथ बलात्कार की किसी भी संभावना को खारिज करते हैं और विचारण न्यायालय पीड़िता के माता-पिता द्वारा दिए गए साक्ष्य के आलोक में सूचना देने वाले के साक्ष्य की सराहना करने में विफल रही और तदनुसार, सूचना देने वाले का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, तब भी विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय उसके साक्ष्य पर भरोसा किया और यहां यह प्रस्तुत करना प्रासंगिक है कि डॉक्टर ने कथित घटना के सिर्फ एक दिन के भीतर अभियोजक की जांच की और डॉक्टर द्वारा दिया गया साक्ष्य बलात्कार के आरोप की पुष्टि नहीं करता है। आगे तर्क यह है कि प्राथमिकी में वर्णित घटना का स्थान मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा साबित और स्थापित नहीं किया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि सभी निजी गवाह या तो रुचि रखते हैं या बलात्कार की कथित घटना के संबंध में सुने हुए गवाह हैं या संयोग गवाह हैं। यह आगे तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारावास की प्रमुख सजा 10 वर्ष के कठोर कारावास की है और अपीलार्थी 21.09.2014 के बाद से हिरासत में है और तदनुसार, उसने कारावास की सजा की अवधि का अधिकांश हिस्सा पूरा कर लिया है और वह एक गरीब परिवार से है और उसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण है।

10. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश विद्वान स. लो. अ., श्री मुकेश्वर दयाल ने तर्क दिया है कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत पेश करके अपना मामला स्थापित किया और सबसे महत्वपूर्ण सबूत पीड़िता का अपना बयान है जिसमें उक्त पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है और पीड़िता के लिए अपीलार्थी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने का कोई कारण नहीं था और इस संबंध में अपीलार्थी और पीड़िता के परिवार के बीच अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से कोई दुश्मनी नहीं दिखाई देती है। आगे तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष ने अनुसंधानकर्ता के साक्ष्य से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष घटना का स्थान स्थापित किया और आक्षेपित निर्णय में चर्चा किए गए अभियुक्त/अपीलकर्ता के शरीर पर पाई गई

चोट प्राथमिकी में लगाए गए आरोप की एक भौतिक पुष्टि है और मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों से अपीलार्थी का अपराध संतोषजनक रूप से साबित हुआ था और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश में कोई कमी नहीं है।

11. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात् इस अपील में निम्नलिखित मुद्दे विचारार्थ उठते हैं:

(i) क्या अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्य, मेडिकल साक्ष्य से पुष्टि प्राप्त किए बिना प्राथमिकी में लगाए गए बलात्कार के आरोप को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं?

(ii) क्या अभियोजन पक्ष घटना के स्थान को सभी उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा?

(iii) क्या स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य के अभाव में विचारण न्यायालय के लिए मुख्य रूप से अभियोजक के साक्ष्य पर विचार करते हुए बलात्कार के कथित अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराना उचित था?

12. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और अपीलार्थी के मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया है और अभियुक्त के बयान को भी ध्यान में रखा है।

13. बलात्कार के अपराध में सबसे महत्वपूर्ण गवाह जिस पर विचार किया जाना है, वह स्वयं पीड़िता है, क्योंकि आम तौर पर इस प्रकार का अपराध तब किया जाता है जब पीड़िता अकेली पाई जाती है और तत्काल मामले में विचारण न्यायालय मुख्य रूप से अभियोजक के साक्ष्य पर भरोसा करता है जिसकी जांच अ.सा. -3 के रूप में की गई थी। गवाह ने मुख्य परीक्षण में गवाही दी कि कथित घटना के समय वह हीरा लाल नाम के एक व्यक्ति के धान के खेत में शौच करने गई थी, लेकिन कुछ लोग उस खेत में मौजूद थे, इसलिए वह एक गन्ने के खेत में गई जहां आरोपी/अपीलकर्ता ने उसे काबू कर लिया और तौलिया का उपयोग करके उसका मुंह बंद कर दिया और उसका यौन उत्पीड़न किया और उस दौरान उसने विरोध किया और आरोपी के चेहरे पर चोट पहुंचाई

और फिर आरोपी ने **हसिया** के माध्यम से उस पर हमला किया। पीड़िता कथित आरोपों के संबंध में जिरह में दृढ़ रही और समय बीतने के कारण हुए मामूली विरोधाभासों को छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं है जो पीड़िता के साक्ष्य में संदेह पैदा करता है और इसके अलावा उक्त विरोधाभास ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जो पीड़िता के साक्ष्य को अविश्वसनीय बना दे। जाँच के दौरान अनुसंधानकर्ता ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और गन्ने की फसल का कुछ हिस्सा कुचली हुई स्थिति में पाया और चूड़ियों के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी पाए। अनुसंधानकर्ता ने अ.सा.-4 के रूप में जांच की, अपने बयान में उक्त तथ्यों का समर्थन किया और उसके द्वारा बताए गए घटना के स्थान का विवरण अभियोजक द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि करता है। हालांकि, इस मामले में अभियोजक की चिकित्सकीय जांच करने वाले डॉक्टर के बयान से दिखाई देने वाला चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पक्ष में नहीं जाता है, लेकिन यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कथित घटना के पुलिस अधिकारी के संज्ञान में आने के तुरंत बाद अभियोजक की जांच नहीं की गई थी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अभियोजक के साक्ष्य के अनुसार उसके द्वारा कुछ प्रतिरोध किया गया था जब आरोपी उसके साथ जबरन यौन संबंध स्थापित कर रहा था और उस प्रतिरोध के दौरान उसने उसका चेहरा खरोंच लिया और जाँच के दौरान पुलिस ने अभियुक्त की चिकित्सकीय जाँच कराई, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श -5 के रूप में दायर की गई है और उस जाँच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के निचले होंठ पर घर्षण की प्रकृति की चोट के कुछ निशान पाए गए और मुकदमे के दौरान अभियुक्त ने उक्त चोट के पीछे का कारण नहीं बताया और अभियुक्त की कथित घटना के ठीक दो दिन बाद चिकित्सकीय जाँच की गई और कथित परिस्थिति भी अभियोजक द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि तत्काल मामले में, अ.सा. -7,8 और 10 के रूप में पूछताछ किए गए अन्य निजी गवाहों के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पक्ष में नहीं जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ गवाहों ने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के साथ आरोपी/अपीलकर्ता द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के बारे में सुना है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के अवलोकन से, मुझे अभियोजन पक्ष के परिवार और अपीलकर्ता के बीच किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं मिलती है, हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में 'दं.प्र.स.')

सके और यहाँ तक कि अधिकांश अभियोजन पक्ष के गवाहों से उक्त बचाव के बिंदु पर जिरह नहीं की गई।

14. राज्य (दिल्ली का रा. रा. क्षे.) बनाम पंकज चौधरी 2019 (11) एस. सी. सी. 575 में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है, यदि यह विश्वास को प्रेरित करता है और कानून या व्यवहार का कोई नियम नहीं है कि अभियोजक के साक्ष्य पर पुष्टि के बिना भरोसा नहीं किया जा सकता है। तत्काल मामले में, अभियोजक ने अभियोजन के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया और अभियुक्त के होंठ पर पाए गए चोट के निशान अभियोजक के आरोप की पुष्टि करते हैं और अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने साक्ष्य में प्रकट घटना के स्थान का विवरण भी पुष्टि करता है और इन सामग्रियों की उपस्थिति में, मुझे अभियोजक की विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता है और **गणेशन बनाम राज्य (2020) 10 एस. सी. सी. 573** के मामले में, यह माना गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि पीड़िता/अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है जब अभियोक्ता का बयान विश्वसनीय, निष्कलंक और विश्वसनीय पाया जाता है।

15. उपरोक्त चर्चा किए गए तथ्यों के आलोक में, मेरा विचार है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के अपराध के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष उचित है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि भी उचित है और विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, मुझे निर्णय और आदेश में कोई कमी और अवैधता नहीं मिलती है और जहां तक अपीलार्थी को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारावास की सजा का संबंध है, वह भा. दं. वि. की धारा 376 (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा के निचले छोर पर दी गई है, इसलिए उक्त सजा में हस्तक्षेप करना वैध नहीं होगा। तदनुसार, मुझे इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मयनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।